

२५.०६-२५

फावली वेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
प्राथमिक का मूल वाद नोट बैस के आधार पर
इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः
प्राथमिक का यह प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने के
कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। फावली
फैसलसुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तरीक
तकमील होकर दायिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर जुरे न्यायालय में
सुनाया गया।

Dr
(दिव्या सोनी)
R.A.S.